# न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

**पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, आर.ए.एस.**

(3)

**करण संख्या** : 13 / 22

GCMS id : 2022 / 6

1. नृसिंहलाल आत्मज धन्नालाल
2. मालती बाई पुत्री धन्नालाल
3. सूरजमल आत्मज धन्नालाल

जाति जाटव, निवासीगण ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा हाल निवासी केबल नगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

**बनाम** (वादीगण)

1. रतनलाल आत्मज शिवनारायण
2. घनश्याम आत्मज बालचन्द
3. दुर्गालाल आत्मज कल्याण
4. हरिवल्लभ आत्मज नन्दा

जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5. देवा आत्मज दूधा गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

**वाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखली**

**उपस्थिति :** श्री हरिसिंह शक्तावत, अभिभाषक वादीगण

## निर्णय

**दिनांक : 04.07.2022**

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 183, 92–ए बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखली पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –
   - ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 262 / 3 रकबा 0.58 हैक्टर वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज है।
   - वादीगण गरीब, ग्रामीण, अनुसूचित जाति के सदस्य है जबकि ग्राम आलनिया व ग्राम रानपुर के निवासी प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति है।
   - विवादित आराजी वादीगण के पिता धन्नालाल जी को आवंटित की गई। बाद आवंटन कब्जा प्रदान किया गया तथा धन्नालाल जी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज की गई। तब से ही धन्नालाल जी तथा उनकी मृत्योपरान्त वादीगण विवादित आराजी का उपयोग उपभाग करते आ रहे है।
   - दिनांक 04.02.2022 को प्रतिवादीगण व अन्य आठ दस प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके वादीगण की उक्त आराजी पर जबरदस्ती बाउण्ड्रीवॉल बनाने का प्रयास करने लगे जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को आस पास के लोगों से कहकर रूकवाया किन्तु प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि अबकी बार शीघ्र ही बाउण्ड्री करके वादीगण की जमीन पर कब्जा कर लेगें।
   - प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने पर थाना अनन्तपुरा में शिकायत की किन्तु प्रतिवादीगण के प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने के कारण वादीगण की कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे प्रतिवादीगण के हौसले बुलन्द है तथा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(5)

प्रतिवादीगण कभी भी वादीगण की आराजी पर बाउण्ड्री बनाकर कब्जा कर लेगें। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पायन्द फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

- वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 04.02.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर वादीगण की आराजी पर जबरदस्ती बाउण्ड्री का निर्माण करने पर आमादा होने तथा वादीगण के रोकने पर प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।
- विवादित आराजी ग्राम आलनिया में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है।
- अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ग्राम आलनिया तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.58 हैक्टर पर जबरन ताकत के बल पर बाउण्ड्री का निर्माण कर कब्जा नहीं करें तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचाये । ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही अन्य किसी प्रतिनिधि से करावें।

3. न्यायालय में पेश वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु जर्ये पंजीकृत डाक तलवी सम्मन जारी किये गये। तदुरान्त प्रतिवादीगण को लगातार उपस्थिति का अवसर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एकपक्षीय कार्यवाही के फलस्वरूप जवाब दावा प्राप्त नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं किये गये। सूरजमल आत्मज धन्नालाल के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें वादपत्र के कथनों को दोहराया गया।

4. वादीगण के अभिभाषक की प्रकरण पर एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पिता धन्नालाल को ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.58 हैक्टर अवंटित की जाकर गैरखातेदारी में दर्ज की गई जिस पर जब तक वे जीवित रहे उन्होने काश्त की तथा उनके स्वर्गवास के बाद से ही वादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति है। दिनांक 04.02.2022 को प्रतिवादीगण आठ दस अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आये और वादीगण की आराजी पर जबरदस्ती बाउण्ड्रीवॉल बनाने लगे जिन्हें आस–पास के लोगों से कहकर रूकवाया किन्तु फिर भी वो जाते जाते धमकी देकर गये कि हम जल्दी ही तुम्हारी जमीन पर बाउण्ड्री बनाकर कब्जा कर लेगें। इसकी अनन्तपुरा थाने में शिकायत भी की परन्तु प्रतिवादीगण के प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने के कारण वादीगण की कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे प्रतिवादीगण के हौसले और बुलन्द हो गये है तथा प्रतिवादीगण कभी भी वादीगण की आराजी पर बाउण्ड्री बनाकर कब्जा कर लेगें। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे ग्राम आलनिया की आराजी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.58 हैक्टर पर जबरन बाउण्ड्री बनाने व कब्जा करने का प्रयास नहीं करें और वादीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने दे।

5. हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत दावा पेश किया गया है। धारा 188 के प्रावधान अनुसार किसी खातेदार अथवा गैर खातेदार के कब्जे की आराजी पर किसी अन्य द्वारा अतिचार किया हो या अतिचार किये जाने का भय हो तो उसे निम्न आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जा सकती है –

1. यदि अतिक्रमण के कारण हुये या हो सकने वाले नुकसान को तय करने का

सहायक कलक्टर
(न्यायालय) कोप

(5)

कोई मानक न हो अर्थात यह पता लगाना संभव नहीं हो कि इस अतिचार से वास्तव में कितना नुकसान हुआ या हो सकता है,

2. यदि धनीय मुआवजे से क्षतिपूर्ति (पर्याप्त अनुतोष) नहीं मिल सकता हो,
3. यदि ऐसा धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता हो,
4. जहाँ कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिये व्यादेश देना आवश्यक हो।

उपरोक्त में से किसी एक आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जा सकती है परन्तु इसके लिये आवश्यक शर्त यही है कि वादी उस विवादित आराजी का अभिलिखित **खातेदार** हो तथा विवादित आराजी पर उसका **कब्जा** हो। उपरोक्त में से किसी एक स्थिति के नहीं होने पर उसे स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। हमारे लिये यह देखना आवश्यक होगा कि क्या वादी अभिधारी (आसामी) है ? शब्द 'अभिधारी' की परिभाषा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) सपठित धारा 14 में दी गई है। इसके अनुसार अभिधारी में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा लगान संदेय है और इसमें "उप अभिधारी" भी सम्मिलित है। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से हम पाते है कि ग्राम आलनिया की विवादित आराजी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.58 हैक्टर वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है और मुताबिक जमाबन्दी उनके द्वारा लगान संदेय है। इस प्रकार दावा पेश करने की दिनांक को वादी गैरखातेदार दर्ज था तो वह अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत दावा पेश करने हेतु सक्षम है। वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी पर जबरन बाउण्ड्रीवॉल बनाये जाने व कब्जा किये जाने के फलस्वरूप वादीगण को होने वाली क्षति का आकलन संभव नहीं है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा हो जाने से दावों की भी बहुलता बढ जायेगी। अतः वादीगण के विवादित आराजी के गैरखातेदार होने तथा काबिज काश्त होने व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी **रतनलाल आत्मज शिवनारायण, घनश्याम आत्मज बालचन्द, दुर्गालाल आत्मज कल्याण, हरिवल्लभ आत्मज नन्दा, जाति गुर्जर निवासीगण आलनिया व देवा आत्मज दूधा गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा** के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे व गैरखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.58 हैक्टर वाके ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर बाउण्ड्री बनाने का प्रयास नहीं करे और ना ही कब्जा करें। वादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करे। वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में मजाहमत व मदालखत नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 04.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – पार्थवी, R.A.S.

उनवान –

1. नृसिंहलाल आत्मज धन्नालाल
2. मालती बाई पुत्री धन्नालाल
3. सूरजमल आत्मज धन्नालाल

जाति जाटव, निवासीगण ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा हाल निवासी केबल नगर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. रतनलाल आत्मज शिवनारायण
2. घनश्याम आत्मज बालचन्द
3. दुर्गालाल आत्मज कल्याण
4. हरिवल्लभ आत्मज नन्दा

जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5. देवा आत्मज दूधा गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188, 183, 92A RTA
मुकदमा नम्बर : 13 / 22 GCMS id : 2012 / 6
निर्णय दिनांक : 04-07-2022

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री हरिसिंह शक्तावत की उपस्थिति में वादपत्र की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 04–07–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे व गैरखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.58 हैक्टर वाके ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर बाउण्ड्री बनाने का प्रयास नहीं करे और ना ही कब्जा करें। वादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करे। वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदालखत नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 04 जुलाई, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करवाई जाकर न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा — मुहर)

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

## वाद के खर्चे

| वादी | | | प्रतिवादी | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वाद पत्र के लिये स्टाम्प | रूपया | 1. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | रूपया |
| 2. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | | 2. | अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3. | अदर्शों के लिये स्टाम्प | | 3. | प्लीडर के लिये फीस | |
| 4. | ______ रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | |
| 5. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | | 5. | आदेशिका की तामिल | |
| 6. | कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल | | 6. | कमिश्नर की फीस | |
| | जोड | | | जोड | |